

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023—फालुन 22, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023

क्र. एफ-ए-3-47-2017-1-पांच (03).— मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 क्रमांक (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-47-2017-1-पांच(59), दिनांक 7 दिसम्बर 2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ज) में “और राज्यों के विधान मंडल” शब्दों के स्थान पर शब्दों “राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023

क्र. एफ-ए-3-47-2017-1-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (03), दिनांक 13 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 13<sup>th</sup> March 2023

No. F A3-47-2017-1-V (03) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-47-2017-1-V(59), dated 30<sup>th</sup> June 2017, namely:-

In the said notification, in the Explanation, in clause (h), for the words "and State Legislatures" the words "State Legislatures, Courts and Tribunals" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 1<sup>st</sup> March 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.